न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 695/चार/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 08-03-2001 पारित व्दारा - अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0ग्वालियर - प्रकरण कमांक 7/99-2000 अपील माल

बलवीर सिंह पुत्र बहादुर सिंह ठाकुर
ग्राम परसोना तहसील व जिला भिण्ड ---आवेदक

विरूद्ध

1- सरमन 2- सूवेलाल 3- नहने
पुत्रगण अजानसिंह जाति जाटव
ग्राम रूपसाह का पुरा तहसील भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)

(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 2 -12-2015 को पारित)

यह निगरानी अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 7/99-2000 अपील माल में 8-3-2001 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है आवेदक ने सहायक बंदोवस्त अधिकारी, भिण्ड को आवेदन देकर मांग की कि ग्राम परसोना स्थित भूमि सर्वे कमांक 1013 एंव 1014 पर उसका कब्जा है

इसलिये शासकीय अभिलेख में कब्जा दर्ज किया जावे। सहायक बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड ने प्र.क्र. 117 बी 121/1994-95 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 18-11-96 से खसरा नंबर 1013 स्थित कुआ, तिवरिया एंव टयूववैल को छोड़कर तथा खसरा नंबर 1014 के संपूर्ण रकबे पर आवेदक का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने बंदोवस्त अधिकारी, भिण्ड के समक्ष अपील करने पर प्र.क्र. 34/96-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 12.11.99 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर बंदोवस्त आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 7/1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-3-2001 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा आवेदक के अभिभाषक व्दारा सहायक बंदोवस्त अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 117 बी 121/ 1994-95 के शोध न होने वावत् तहसीलदार भिण्ड व्दारा दी गई जानकारी दिनांक 11-8-15 की प्रति के साथ दो नकल आवेदनों का भी अवलोकन किया गया। साथ ही अपर बंदोवस्त आयुक्त के प्रकरण कमांक 7/1999-2000 का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर बंदोवस्त आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर के प्र.क. 7/99-2000 अपील

में पारित आदेश दिनांक 8-3-2001 में वह सभी तथ्य उपलब्ध हैं जो अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में वर्णित हैं। विचाराधीन निगरानी में यह देखा जाना है कि ग्राम परसोना स्थित भूमि सर्वे कमांक 1013 एंव 1014 पर सहायक बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड ने प्र.क्र. 117 बी 121/ 1994-95 में आदेश दिनांक 18-11-96 से आवेदक का कब्जा दर्ज करने का आदेश दिया है एंव अपर बंदोवस्त आयुक्त के आदेश दिनांक 8-3-2001 में आये तथ्यों अनुसार भूमि सर्वे कमांक 1013 एंव 1014 शासकीय रही है जो कय - विकय के आधार पर किसी अन्य के नाम हुई है। विचार योग्य है कि क्या किसी शासकीय भूमि पर अथवा किसी निजी भूमिस्वामी की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अनुसार कब्जा दर्ज किया जा सकता ?

> भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत राजस्व अधिकारी किसी शासकीय भूमि पर अथवा किसी निजी भूमिस्वामी की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति कब्जा दर्ज करने का आदेश पारित दे सके।

स्पष्ट है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड का प्र.क्र. 117 बी 121/1994-95 में पारित आदेश दिनांक 18-11-96 नियम विरूद्ध है और ऐसे नियम एंव प्रकिया के विरूद्ध पारित आदेश को बंदोवस्त अधिकारी, भिण्ड ने प्र.क्र.34/96-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 12.11.99 से अनदेखा कर दिया, जिसके कारण अपर बंदोवस्त आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 7/1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-3-2001 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने में किसी प्रकार की भूल नहीं की है जिसके

कारण अपर बंदोवस्त आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर का आदेश दिनांक 8-3-2001 हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया गया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर बंदोवस्त आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 7/1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-3-2001 विधिवत् पाये जाने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र·R 157 - 2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म·प्र·)

प्र0क्र0 /2000-2001 निगरानी माल,

बलवीर सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति ठाकुर

निवासी परसौना परगना व जिला भिण्ड

-- निगरानी कर्त्ता

विरुद्ध

सरमन पुत्र अजान सिंह

सूबे लाल पुत्र अजान सिंह

नहने पुत्र अजान सिंह समस्त जाति जाटव

निवासी ग्राम रूपसाह का पुरा पर· व

जिला भिण्ड (म0प्र0) - गैर निगरानी कर्त्ता

R- 695-IV/2001

श्री 2324 कार्तिन अभि0 द्वारा आज दि0 12-4-2001 को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

12 APR 2001

12·4·2001

आदेश न्यायालय अपर बन्दोबस्त आयुक्त म·प्र· ग्वालियर के प्रकरण क्र·7/99- 2000 अपी·माल पारित आदेश दि0 8·3·01 के विरुद्ध धारा 50 म·प्र·भू·रा·संहिता 1959 के अन्तर्गत निगरानी प्रार्थना पत्र।

= = = = = = = = = = = = = = xxxx = = = = = =

माननीय महोदय ,

निगरानी कर्त्ता की ओर से प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, निगरानी कर्त्ता मौजा परसौना का निवासी होकर सैना का पेन्शनर व्यक्ति होकर खेती करता है। इसी मौजा में आराजी नम्बर 1013 रकवा 5 विश्वा व आराजी क्र· 1014 रकवा 6 विश्वा भूमि पटवारी कागजात में आवादी के रूप में अंकित होकर उक्त नम्बरान मे कुआ एवं तिवरिया खण्डहर के रूप में पुराने बने हुए है। इसी नम्बरान पर खसरा पंचसाला 2031 से 2035 तक कैफियत के कॉलम्ब

क्रमशः ··2····